FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. **District**: STATE VIG. BUREAU **PS**: SVB ROHTAK **Year**: 2013 **FIR No**: 37 **Date**: 13-11-13

2. **Act(s)**: **Secti on(s)**

(i) IPC 409/420 IPC,

(ii) PREVENTION OF CORRUPTION ACT 1988 13(1) d,PC ACT

(iii)

(iv)

3. **Occurrence of Offence:**

(a) **Day**: Wednesday **Date From**: 13-11-2013 **Date To:** : 13-11-2013

Time Period: **Time From:** **Time To**:

(b) **Information received at P.S: Date:** : 13-11-2013 **Time**: 01-15 P.M.

(c) **General Diary Reference:** **Entry No.:** 08 **Time:** 01-15 P.M

4. **Type of Information: WRITTEN**

5. **Place of Occurrence:**

(a) Direction and Distance from P.S.: **Beat No**.:

(b) Address : SVB, unit Jhajjar

(c) In case, Outside the limit of the Police Station:

Name of P.S: SVB ROHTAK **District: Rohtak**

(a) **Complainant/Informant**: SI Om Parkash

(b) **Birth year:** **Nationality:** INDIAN

(c) **Passport No.** **Date of issue:** **Place of Issue:**

(d) **Occupation:**

(e) **Address:** S.V.B Unit Jhajjar

7. **Details of known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):**

(1) Sh.Pushkar Singh, the then General Manager, Co-operative Labour & Building Federation, Jhajjar

8. Reason for delay in reporting by the complainant/informant:

9. Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):

Sl.No.	**Property Type(Description)**	**Est. Value(Rs.)**	**Status**
(i)			

(ii)
(iii)

10. Total value of property stolen:

11. Inquest Report/U.D Case No., if any

12. F.I.R Contents (attach separate sheet, if required):

सेवा में, प्रबन्धक थाना,राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा,रोहतक मण्डल, रोहतक।श्री मान जी, निवेदन यह है कि जांच क्रमांक 06 दिनांक 29–4–2013 झज्जर, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के पत्र क्रमांक 65/12/2013–5 चौकसी –ा दिनांक 22–4–2013 अनुसार दर्ज प्राप्त हुई, जिसमें आरोप था कि सरकार द्वारा एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के तहत श्रम निर्माण समितियों को वितिय सहायता देने के लिये रिवाल्विंग फण्ड बनाया गया था। इस फण्ड से सहायता हरियाणा राज्य सहकारी श्रम एवं निर्माण संघ और जिला सहकारी श्रम निर्माण संघ और जिला सहकारी श्रम एवं निर्माण परिसंघ की सलाह और निगरानी मे दी जाती है। इसका उद् य समितियो को दी जाने वाली इस वितिय सहायता की वसुली को सुनि ित करना है। जिला झज्जर मे इस परियोजना के अर्न्तगत 20 लाख रूपये की व्यवस्था की गई थी। महाप्रबन्धक श्री पुश्कर सिह द्वारा यह 20 लाख रूपये की रा ाी एक ऐसी श्रम समिति को अलाट कर दी, जिसमे खुद उसकी पत्नि व भतीजा सदस्य है। यह रा ाी इस समिति के रजिस्टर्ड होने के केवल 2 दिन बाद ही एक ही दिन में 2 बैठके दिखा कर अलग–2 दो प्रस्ताव पास करके दी गई। इसके अतिरिक्त यह श्रम निर्माण समिति लि0 सादत नगर जिला झज्जर के अर्न्तगत नही आती। यह समिति 22–3–2010 को पंजीकृत हुई व 25–3–2010 को इस समिति को 20 लाख रूपये की रा ाी जारी कर दी। समिति व महाप्रबन्धक के बीच एक इकरारनामा तैयार करके समिति के छुछकवास भााखा झज्जर में बचत खाता संचालित करने के लिये अधिकृत सदस्य पवन कुमार व विकास द्वारा महाप्रबन्धक पुश्कर सिह के नाम 1,50,000 रूपये का चैक जारी किया। महाप्रबन्धक ने यह रा ाी उसी भााखा से नकद प्राप्त की। महाप्रबन्धक पुश्कर सिंह के नाम एक अन्य चैक 8,50,000 रूपये का जारी किया गया, इसके बाद 10 लाख रूपये की रा ाी का चैक समिति के खाते मे जमा करवा दिया गया। यह रा ाी भी महाप्रबन्धक पुश्कर सिंह द्वारा 3 किस्तों में बैंक से प्राप्त कर ली गई। समिति के रिकार्ड में महाप्रबन्धक पुश्कर सिहं द्वारा प्राप्त 20 लाख रूपये की रा ाी का कोई रिकार्ड में कोई इन्द्राज नही किया गया। जांच से पाया गया कि इस योजना के तहत जिला झज्जर सहकारी बैंक का महाप्रबन्धक केवल अपने जिले की रजिस्टर्ड समिति को ही आई0सी0डी0पी0 योजना के तहत श्रम एवं निर्माण कार्य के लिये ही मार्जन मनी(ई ाा पूंजी) देने के लिये अधिकृत है। परन्तु श्री पुश्गर सिह महाप्रबन्धक सहकारी श्रम एवं निर्माण परिसंघ झज्जर ने अपने जिला से बाहर रेवाडी जिला के महाप्रबन्धक द्वारा रजिस्टर्ड दी भााहदत नगर श्रम एवं निर्माण समिति लि0 को श्रम एवं निर्माण कार्य के लिये 10/10 लाख कुल 20 लाख रूपये नियमों की उलघंना करके स्वीकृत किये गये व लेखाकार को समिति के नाम चैक काटने के आदे ा देकर चैक कटवा कर उस पर अपने हस्ताक्षर करके चैक समिति को देकर उक्त रा ाी को समिति के बैंक खाता छुछकवास में जमा होने के कुछ दिन

बाद ही संस्था के प्रधान, उप प्रधान व खजान्ची से उक्त रा ाी के चैक अपने नाम कटवा कर रा ाी को स्वयं बैंक से निकलवा कर अपने पद का दुरूपयोग करके 20 लाख रूपये की रा ाी अपने निजी कार्य में प्रयोग करके नियमों की उलंघना की गई। पवन कुमार पुत्र श्री जय सिह प्रधान भतीजा प्रतिवादी श्रीमति तारावती पत्नि श्री पुश्गर सिंह प्रतिवादी व विकास पुत्र श्री जय सिंह भतीजा प्रतिवादी वासीयान भााहदत नगर जिला रेवाडी ने अपने सयुंक्त में वर्णित किया है कि हरियाणा सरकार द्वारा एक स्कीम के द्वारा समिति गठित करने पर काम करने के लिये बेरोजगारो को बिना ब्याज की रा ाी दी जाती है। इसी योजना के तहत उन्होने एक समिति रेवाडी जिला से रजिस्टर्ड करवाई थी तथा रजिस्टर्ड संस्था को 20 लाख रूपये के चैक महाप्रबन्धक सहकारी बैंक, श्रम एवं निर्माण परिसंध, झज्जर से उन्हे मिले थे जो उन्होने संस्था के बैंक खाता को–प्रेटिव बैंक, छुछकवास भााखा झज्जर मे जमा करवा दिये थे। कुछ दिन बाद उन्होने जमा रा ाी के चैक श्री पुश्गर सिंह महाप्रबन्धक श्रम एवं निर्माण परिसंघ झज्जर के नाम उसके कहने पर काट कर दिये थे। समिति के किसी सदस्य व खजान्ची, प्रधान व उप प्रधान ने उक्त 20 लाख रूपये की रा ाी में से न तो कोई रूपये लिये न ही उनसे कोई काम कराया। बीस लाख रूपये की रा ाी श्री पुश्गर सिंह ने बैंक से स्वयं निकलवाई थी और किस्ते भी वह स्वयं अदा कर रहा है। दिनांक 29–3–2010 को चैक न0 527514 अनुसार समिति को दी गई 10 लाख रूपये की रा ाी की सालाना किस्त दिनांक 29–4–2011, 28–3–2012 व 7–3013 को 1,25,000 रूपये प्रति सालाना किस्त के हिसाब से 3,75,000 रूपये जमा करवाये जाने पाये गये। परन्तु दिनांक 16–5–2011 को चैक न0 551655 अनुसार समिति को दी गई 10 लाख रूपये की रा ाी की 3 साल पूर्ण होने के बाद आज तक कोई भी किस्त बैंक मे जमा नही करवाई गई। इस प्रकार श्री पुश्कर सिह तत्कालीन महाप्रबन्धक, सहकारी श्रम एवं निर्माण परिसंघ, झज्जर ने नियमों की उलंघना करके झज्जर जिला से बाहर रेवाडी जिला की रजिस्टर्ड दी भााहदत नगर श्रम एवं निर्माण समिति को 20 लाख रूपये की रा ाी स्वीकृत करके, समिति द्वारा रा ाी समिति के खाता मे जमा कराने उपरान्त उक्त रा ाी को स्वयं बैंक से निकलवा कर श्रम एवं निर्माण कार्य में प्रयोग न करके अपने निजी कार्य मे प्रयोग करके 20 लाख रूपये की रा ाी का गबन करके अपराध धारा 409/420 भा0द0स0 व 13(1)डी0, पी0सी0एक्ट का किया जाना पाये जाने पर इसके विरूद्व उपरोक्त धाराओं के अर्न्तगत अभियोग दर्ज करने का सुझाव देकर जांच सरकार को भेजी गई थी। अब सरकार ने अपने पत्र क्रमांक 65/12/2001–5 चाकसी–ा, दिनांक 4–10–13 अनुसार जांच रिपोर्ट परीक्षण उपरान्त श्री पुश्कर सिह तत्कालीन महाप्रबन्धक, सहकारी श्रम एवं निर्माण परिसघं झज्जर हाल प्रबन्धक एम0 एण्ड पी0 सैक ान हरको बैंक सैक्टर–17 चण्डीगढ के विरूद्व उपरोक्त धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवाने के आदे ा प्राप्त हुये है। अतः तहरीर सेवा मे भेज कर अनुरोध है कि उपरोक्त के विरूद्व सरकार के आदे ाानुसार मुकदमा दर्ज करके स्पे ाल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट व सभी सम्बन्धित को भेजी जाये । जांच से सम्बन्धित मूल रिकार्ड साथ सलंग्न है। इस मुकदमा में अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करवा कर सम्बन्धित रिकार्ड अनुसंधान

अधिकारी को भेजा जाए। हस्ता हिन्दी औम प्रका ा उ0नि0ए 13.11.13 रा0चौ0ब्यू0 उपकेन्द्र, झज्जर। अज थानाः–उपरोक्त तहरीर पर मुकदमा बाजुर्म दर्ज रजिस्टर करके नकल एफ0आई0आर0 तैयार की गई जो अफसरान बाला की सेवा मे भिजवाई जावेगी। स्पे ाल रिपोर्ट बदस्त सि0 राहुल न0 1050/रोहतक द्वारा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब, झज्जर भेजी गई। नकल मि ाल पुलिस मय असल तहरीर व जांच से सम्बन्धित रिकार्ड अफसरान बाला आदे ा प्राप्त करके नि0 हरि प्रका ा, रा0चौ0ब्यू0 यूनिट झज्जर के पास भेजा जा रहा है।

Action Taken (Since the above information reveals commission of offence(s)u/s as mentioned at item No.2:

(i) Registered the case and took up the investigation **OR**

(ii) Directed(Name of the I.O) Hari Parkash

Rank: Insp.

No.: 31/HAP **to take up the investigation,OR**

(iii) Refused investigation due to:

OR

(iv) Transferred to P.S.(name):

On point of jurisdiction: **District:**

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:

R.O.A.C.:

14.

Signature/Thumb Impression
Of The Complainant/Informant:

Signature of Officer
Name Anil Kumar
Rank: Inspector No. H/161

15 Date and Time of despatch to the court: बदस्त सि0 राहुल न0 1050/रोहतक